उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 20/2018

ट्रक सं0–JH-12B-3542 स्वामी (नीरू देवी पति स्व0 अशोक यादव) बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
04-01-2019	**–: आदेश :–**	

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। Track No- JH-12B-3542 में लदा कोयला से संबंधित कागजातों को नजर अन्दाज करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या– 90/2015 में दिनांक–29.06.2018 को पारित आदेश को खारिज करते हुए, अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया हैं।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजातों एवं निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख राज्यसात वाद सं0– 90/2015 में दिनांक–29.06.2018 को पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि Track No- JH-12B-3542 में लदा कोयला अधिसूचित वन भूमि से कोयला का खनन कर अवैध परिवहन किया गया है, प्रमाणित होता है। विधिवत् प्रक्रिया के तहत् नियमानुसार निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिससे असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

04/1/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

04/1/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

Scanned by CamScanner